

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक:- 03/2/26

विषय:- पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में आवंटित की गयी राशि के विरुद्ध विभागीय पत्रांक-630(म) दिनांक-16.01.2026 के द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र की मांग की गयी थी, जो अबतक अप्राप्त है।

अतः निदेश दिया जाता है कि उक्त कार्य हेतु विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में आवंटित की गयी राशि के विरुद्ध वर्षवार उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (BTC Form-42A) में सभी वांछित अभिलेखों के साथ तीन दिनों के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनु०- BTC Form-42A

विश्वासभाजन

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

पटना, दिनांक:- 03/2/26

ज्ञापांक- 1139 (म)

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता एवं सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

10
अनुसूचनांक-२

BTC FORM 42A
FORM UTILIZATION CERTIFICATE
(See Rule 271)

Not Payable at treasury

Major Head Treasury.....
Sub Major Head DDO Code
Minor Head Bank Code
Sub Head Bill Code

ON CERTIFICATE No./Bill Ref No..... Date:.....
OFFICE OF..... MONTH OF..... March..... 2020

1. Certified that out of Rs...../- of Grants in aid sanctioned during the year 2023-24. in favour of under this Ministry/ Department letter no. given in the table below and Rs.Nil on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs /- has been utilized for the purpose for which it was sanctioned and that the balance of Rs..... Remained unutilized at the end of the year 2018-19 has been surrendered to the Govt. vide letter No..... dated will be adjusted toward the grants in aid payable during the next financial year

A. For the Grant to Government offices for various schemes

Certified that the remaining undrawn grant amount Rs /- (.....) has been surrendered vide letter no..... dated and the remaining drawn grant amount Rs.) has been deposited in the treasury vide challan no. Dated, has been sent along with the surrender letter.

2. Kinds of checks exercised. (Audited Accounts, Cash Book, asset Register, Distribution Register Stock Register, Purchase Register etc.)

√ I. Cash Book

√ II. Allotment Register

√ III. Distribution Register

√ IV. Bill Book

3. Particulars of Grants in aid:

Sl. No.	Sanction letter no. and date	Name of the Grantee institution /office	Purpose of the grant/name of scheme	Bill No. Date	Amount of grants drawn	T.V. No & date	Amount UC	Balance Amount	Amount Surrendered (With letter No. & date)	Challan no. & Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

This is certified that

Signature & Stamp of Grantee Agency/Institution/Office

1. Audited Accounts Report has been obtained from the Grantee Agency/Institution & the same has been kept in this office.

√2. This grantee Agency/Institution has been exempted from producing Audited Accounts Reports & in this case, Utilization Certificate is being counter signed on the basis of checking of Bill book, Cash book, Allotment register, Distribution register Books of Accounts/Records.

Counter signature & stamp by Sanctioned Disbursing Authority/Officer Authorized by him

Signature & Stamp of Drawing & Disbursing officer for the grant in aid

2

जी0आई0ए0 से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला Check List

क्र0	विवरण	निकाली एवं व्ययन पदाधिकारी का प्रमाण-पत्र (होना चाहिए)	राज्यादेश/स्वीकृत्यादेश निर्गत करने वाले पदाधिकारी अथवा नामित पदाधिकारी द्वारा जाँच करने पर जी0डी0ओ0 का प्रमाण-पत्र सही पाया गया या नहीं, सही पाये जाने पर होना चाहिए अथवा नहीं करना है।	महालेखाकार कार्यालय द्वारा प्रारंभिक जाँच में पदाधिकारियों का प्रमाण-पत्र सही पाया गया या नहीं, सही पाये जाने पर होना चाहिए अन्यथा नहीं करना है।	अ
	राशि----- /----- निकाय----- स्वीकृत्यादेश संख्या----- वर्ष-----				
1	उपयोगिता प्रमाण पत्र-विभाग के माध्यम से प्राप्त है।	हाँ	हाँ		
2	Utilisation फार्म 42 A में है एवं दिनांक 01.10.2011 अथवा बाद के मामले में वित्त विभाग के आदेश 1210 दिनांक 07.02.2014 के द्वारा संबंधित फार्म में है।	हाँ	हाँ		
3	Utilisation Certificate Sanctioning Authority द्वारा अथवा विभाग द्वारा नामित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है। (नामित होने के मामले में संबंधित आदेश की प्रति संलग्न होनी चाहिए)।	हाँ	हाँ		
4	इस कार्यालय में उपलब्ध डाटा बेस के अनुसार T.V No & Date से राशि का मिलान किया गया है। मिलान नहीं होने के स्थिति में कोषागार का प्रमाण-पत्र अथवा CTMIS की सत्यापित प्रति संलग्न है।	हाँ	हाँ		
5	प्रत्येक Sanction के विरुद्ध अलग-अलग Utilisation दिया गया है।	हाँ	हाँ		
6	D.D.O. एवं Grantee Agency/Institution का Utilisation Certificate पर हस्ताक्षर स्वीकृत्यादेश के अनुरूप है।	हाँ	हाँ		
7	Utilisation Certificate Form 42- A पर सभी सूचनाएँ पूर्ण रूप में हैं।	हाँ	हाँ		
8	स्वीकृत्यादेश के अतीत सभी आवंटन आदेश संलग्न हैं।	हाँ	हाँ		
9	स्वीकृत्यादेश जो सहायक अनुदान से संबंधित है, संलग्न है।	हाँ	हाँ		
10	स्वीकृत्यादेश से संबंधित सभी उपयोगिता प्रमाण-पत्र का समोकेत राशि T.V. No & Date के साथ है।	हाँ	हाँ		
11	Kinds of Check exercise में सूचना पूर्ण है।	हाँ	हाँ		
12	दिनांक 01.10.2011 अथवा बाद के मामलों में Audited Column की बिन्दु (1) एवं (2) में से किसी एक का व्ययन किया गया है।	हाँ	हाँ		
13	संगणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि का Abstract से मिलान किया गया है।	हाँ	हाँ		
		जी0डी0ओ0 का नाम, हस्ताक्षर, तिथि तथा मुहर	राज्यादेश/स्वीकृत्यादेश निर्गत करने वाले पदाधिकारी अथवा नामित पदाधिकारी का नाम, हस्ताक्षर, तिथि तथा मुहर	महालेखाकार कार्यालय का पदाधिकारी का नाम, हस्ताक्षर, तिथि, तथा मुहर	
	उपर्युक्त बिन्दुओं को जाँचनेवाले सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार का नाम, हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर				
		नाम		हस्ताक्षर	तिथि

टिप्पणी- प्रत्येक उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ इस प्रतिवेदन को तीन प्रतियों में संलग्न कर महालेखाकार (ले0 एवं ह0) कार्यालय में संपर्कित किये जाने हेतु परिसहन भवन स्थित संग्रहण केन्द्र पर सहायक प्राधिकृत आंतरिक वित्तीय सलाहकार को प्राप्ता कराया जायेगा। सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रारंभिक जाँच के बाद तत्काल इसकी एक प्रति पावती के रूप में प्रशासी विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं अन्य दो प्रतियों के साथ इसे महालेखाकार कार्यालय में संपर्कित किया जायेगा। चेक लिस्ट की तीनों प्रतियों पर आई0ओ0 नं0 अनिवार्य रूप से अंकित होगा। महालेखाकार कार्यालय के प्रतिनिधि प्राप्ति के साथ ही इसे संबंधित अनुभाग में अग्रसारित करेंगे।

2